कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट(पिथौरागढ़)।
E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक– 1609 /13 सी0 दिनांक 01.09 –2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 901/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पैय्यापौडी मोटर मार्ग का विस्तार किमी0 9.40 से 16.40 तक चौडीकरण एवं सुधार कार्य का वनभूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।(Proposal No. FP/UK/ROAD/67274/2020)

सन्दर्भः– आपके द्वारा आनलाईन लगाई गई आपत्ति एवं इस कार्यालय का पत्रांक 1521/13सी0 दिनांक 18.08.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में कमियों का निराकरण ऑनलाईन कर दिया गया था एवं निराकरण हेतु अपलोड किये गये प्रपत्रों की हार्ड कापी 5 प्रतियों में संलग्न कर सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आपके कार्यालय को पूर्व में ही प्रेषित कर दी गई थी (प्राप्ति रसीद संलग्न), तथा उक्त प्रतियां उच्चाधिकारियो को आपके कार्यालय के माध्यम से प्रेषित की जानी है।

अतः उक्त पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

01.09.21

(इं0 आशुतोष)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
अस्कोट(पिथौरागढ़)

पत्रांक /13 सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वन सरंक्षक उत्तरी कुमायू वृत्त अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
अस्कोट(पिथौरागढ़)

H:\ \Latter Forest222222222222.doc

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।

E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक–152V/13 सी0

दिनांक 18-08 – 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग पिथौरागढ।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घो0 संख्या 901/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पैय्यापौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार किमी0 9.400 से 16.400 तक चौड़ीकरण /सुदृढ़ीकरण हेतु 4.335 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालौनी उउत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 83/FP/UK/ROAD/67274/2020 देहरादून दिनांक 07.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में कमियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत हैः–

क्र. सं0	लगाई गई आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए विषयसूची संलग्न करें।	पृष्ठ संख्या अंकित कर विषय सूची संलग्न कर दी गई है।
2	प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–2 बिन्दु –(VI) में हरियाली का घनत्व अंकित नहीं किया गया है।	हरियाली का घनत्व अंकित कर अपलोड कर दिया गया है।
3	वन अधिकार अधिनियम से संबंधित जिला स्तरीय समिति के प्रपत्र में तिथि अंकित नहीं की गई है।	प्रपत्र में तिथि अंकित कर अपलोड कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव में वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाला प्रपत्र भाग–3 संलग्न नहीं किया गया है।	प्रपत्र संलग्न कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना वर्तमान दरों के अनुसार नहीं है। कृपया संशोधित सी0ए0 योजना संलग्न करें। प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र –15.5 में प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना वर्तमान दरो पर तैयार कर दी गई है। प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 15.5 में प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर करा दिये गये है।
6	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–18 में परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने के प्रमाण पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं किये गये। कृपया प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर करवाकर प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर कर अपलोड करा दिया गया है।
7	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र –19 में परियोजना की से दूरी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य 1.10 किमी0 अंकित की गई है। उक्त के क्रम में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की संस्तुति ऑनलाईन पार्ट–।। में अपलोड की गई है, परन्तु हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गयी है। उक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
8	भू–वैज्ञानिक की आख्या प्रस्ताव में संलग्न नही है। कृपया संलग्न करें।	भू–वैज्ञानिक आख्या संलग्न कर दी गई है।
9	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–33 में लाभान्वित होने वाले ग्रामों की संख्या एवं परिवार की संख्या का योग त्रुटिपूर्ण है।	ग्रामों की संख्या एवं परिवार की संख्या का योग सही कर दिया गया है।

अतः उक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सेवा में प्रेषित ।

संलग्न - उपरोक्तानुसार, 5 प्रति (27x5 पृष्ठ)

प्रभागीय वन प्रभाग पिथौरागढ़
19-8-21

(इं0 आशुतोष) 18.08.21
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट।

E:\Amin PD JOSHI\Latter.doc